

उपनिदेशक, (प्रशिक्षण),  
क्षेत्रीय कार्यालय प्राविधिक शिक्षा,  
अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/  
जोधपुर/कोटा/उदयपुर

विषय :-समस्त राजकीय /निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था, NIMI, उसके समकक्ष या उच्चस्तर की संस्था द्वारा विकसित E-learning Contentsका अनिवार्य रूप से उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 28.08.2019 को आयोजित आरसीवीईटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में माननीय मंत्री महोदय, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आपके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय एवं निजी औ.प्र. संस्थानों में विभाग द्वारा विकसित, भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था NIMI (National Instructional Media Institute) अथवा इस संस्था के समकक्ष या इससे उच्च स्तर की संस्था द्वारा विकसित E-learning Contents इत्यादि का अनिवार्य रूप से उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यहां उल्लेखनीय है कि NIMI भारत सरकार की एक स्वायत्तशाषी संस्था है जो कि दिसम्बर 1986 से कार्यरत है। NIMI विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षणार्थियों हेतु सामग्री, e-content, Question Bank, विडियो लेक्चर्स इत्यादि विकसित करने का कार्य निरन्तर कर रही है। साथ ही ट्रेनर्स को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की पुस्तकों का अंग्रेजी से हिन्दी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद, प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करने के कार्य में अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य भी कर रही है। जिसकी Official Website [www.nimi.gov.in](http://www.nimi.gov.in) पर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

साथ ही लेख है कि आपके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय /निजी औ.प्र. संस्थानों को निर्देशित करे कि नये सत्र के प्रारम्भ से ही समस्त अनुदेशक गणों, प्रवेशित तथा वरिष्ठ प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसायवार Break up of the syllabus तथा weekly program के अनुरूप उपरोक्तानुसार विकसित E-learning Contents से ही प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें। विभाग की वेब साइट [www.livelihoods.rajasthan.gov.in](http://www.livelihoods.rajasthan.gov.in) पर राज्य में चल रही साथ अतिप्रचलित व्यवसायों यथा इलैक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल, वैल्डर, रेफ्रीजरेशन एवं ए.सी., कोपा तथा फेशन टैक्नोलोजी में व्यवसायवार PPT, Lesson Plan, Demonstration Plan, Video Lectures तथा Graded Exercises को विकसित किया जाकर अपलोड किया जा रहा है, अतः समस्त संस्थानों के सम्बन्धित अनुदेशकों गणों व प्रशिक्षणार्थियों को E-learning Contents से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

श्रीमान् आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली V.C. दिनांक 01.11.2019 में इस विषय पर सम्भागवार पालन की समीक्षा की जायेगी।

(डा. समित शर्मा IAS)  
आयुक्त

दिनांक : 02/10/2019

क्रमांक : प्राशिनि/प्रशि./2019/387-388

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है

1. निदेशक, प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
2. आचार्य/ अधीक्षक, समस्त राजकीय/निजी औ.प्र.संस्थान (राज.)

(डा. समित शर्मा IAS)  
आयुक्त